

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 329]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर 2024—कार्तिक 30, शक 1946

## विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2024

फा. क्र. 21-2024-चार-RO-ARO-236.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-म.प्र.वि.स.-2023(1), दिनांक 21 नवम्बर 2024, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2024—30 कार्तिक, 1946 (शक)

## अधिसूचना

संख्या 434/म.प्र.वि. स. 2023 (1)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434/म.प्र.वि. स. 2023 (1) दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के द्वारा अधिसूचित, मौजूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की, तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से प्रचलित उप-निर्वाचन में मतगणना के कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:-

**सारणी**

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
02-विजयपुर	4- नायब तहसीलदार, गसवानी 5- नायब तहसीलदार, अगरा
156- बुधनी	4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैरुंदा 5- अपर तहसीलदार, बुधनी

2. उपर्युक्त अधिकारी उक्त विधान सभा क्षेत्र से प्रचलित उप-निर्वाचन, 2024 में मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

आदेश से,  
हस्ता./-  
(अमित कुमार)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 21<sup>st</sup> November 2024-30 Kartika, 1946 (SAKA)

**NOTIFICATION**

**No. 434/MP-LA/2023 (1)** – In exercise of powers conferred by sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, hereby, appoints the officers of the Government specified in Column (2) of the Table below, as the Assistant Returning Officers, in addition to the existing Assistant Returning Officers notified vide Commission's Notification No. 434/MP-LA/2023(1), dated 19<sup>th</sup> October, 2023, as amended from time to time, to assist the Returning Officer of the Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, as specified in the Column (1) of the said Table, for the execution of their works with respect to the Counting of votes, for the ongoing Bye-Election from the Assembly Constituency mentioned in Column (1) of the Table.

**TABLE**

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
02-Vijaypur	4- Nayab Tehsildar, Gaswani 5- Nayab Tehsildar, Agra
156- Budhni	4- Sub Divisional Officer (Revenue), Bhairunda 5- Upper Tehsildar, Budhni

2. The above Officers shall cease to function as "Assistant Returning Officers" immediately after the completion of process of Counting of Votes in the ongoing Bye-Election, 2024 from the abovementioned Assembly Constituency.

By order,  
Sd./-  
(AMIT KUMAR)  
Secretary,  
Election Commission of India.